रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-17032021-225947 CG-MH-E-17032021-225947

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] No. 100] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/10.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात:-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-
 - I. विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) में,

1642 GI/2021 (1)

- i. उप-खंड (i) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 - "(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से या विदेशी विश्वविद्यालय से वित्त (फाइनेंस), विधि (लॉ), अकाउंटेंसी या कारबार प्रबंधन (बिजनेस मैनेजमेंट) में व्यावसायिक योग्यता है अथवा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान से प्रतिभूति बाजार (पोर्टफोलियो प्रबंधन) [सिक्यूरिटीज़ मार्केट (पोर्टफोलियो मैनेजमेंट)] में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा करके हासिल की गई व्यावासायिक योग्यता है अथवा सीएफए इंस्टिट्यूट की ओर से प्रदान किया जाने वाला सीएफए चार्टर प्राप्त करके हासिल की गई व्यावासायिक योग्यता है;"
- ii. उप-खंड (iii) में, दूसरे परंतुक में, चिह्न ";", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- iii. दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,
 "परंतु यह और कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के मौजूदा प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) की मान्यता
 की अविध समाप्त होने से पहले ही नया प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा, ताकि प्रमाणीकरण संबंधी
 अपेक्षाओं का सतत रूप से पालन सुनिश्चित हो सके।"
- II. विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (ङ) के पहले परंतुक में, शब्द "न्यूनतम योग्यताएँ तथा अनुभव"
 शब्दों तथा चिह्न "न्यूनतम योग्यताएँ, अनुभव तथा प्रमाणीकरण" से प्रतिस्थापित हो जाएँगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./536/2020-21]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-
 - क. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 16th March, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (b) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely:—

- 1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,-

- I. in clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 7,
 - i. sub-clause (i) shall be substituted with the following sub-clause, namely,-
 - "(i) a professional qualification in finance, law, accountancy or business management from a university or an institution recognized by the Central Government or any State Government or a foreign university or a professional qualification by completing a Post Graduate Program in the Securities Market (Portfolio Management) from NISM of a duration not less than one year or a professional qualification by obtaining a CFA charter from the CFA institute;"
 - ii. in sub-clause (iii), the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"
 - iii. in the first and second provisos, the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"
 - iv. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-
 - "Provided further that a fresh NISM certification shall be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with the certification requirements."
- II. In the first proviso to clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 7, the words "minimum qualifications and experience" shall be substituted with the words and symbol "minimum qualifications, experience and certification".

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./536/2020-21]

Footnote:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on,
 - a. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.